रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 1982/फाल्गुन 20, 1903

No. 76] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 1982/PHALGUNA 20, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1982

का० आ० 245 (अ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारूप खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 142 तारीख 30 जनवरी, 1981 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (i) तारीख 7 फरवरी, 1981 पृष्ठ 273-275 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 7 फरवरी, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (तृतीय संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट "ख" में (अ)मद सं० क 12 में,

(क) खण्ड 3 के पश्चात् निम्नलिखित अंश स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"4 निष्कर्षित वसा का गलनांक −31° से 37° सेंटीग्रेड" (कैपिलरी स्लिप पद्धति)

5. निष्कर्षित वसा का असाबुनीकरणीय पदार्थ भार में 1.5 प्रतिशत से अनधिक।

मुक्त वसा अम्ल (निष्कर्षित वसा ओलीक अम्ल के रूप में)

भार में 0.25 प्रतिशत से अनधिक

0.5 से अनधिक"

(ख) "2 रेड यूनिट्स" अंक और शब्दों के स्थान पर "2.5 रेड यूनिट्स" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(आ) मद क 17.09 में,

(क) "कुसुम्भ तेल (सफ्लावर आयल)" शब्दों के स्थान पर "कुसुम्भ बीज तेल" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खण्ड (ग) में, "146" अंकों के स्थान पर "148" अंक रखे जाएंगे।

(इ) मद क-17.22 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"क. 17.23 धान चोकर तेल : से, ओराइजा सैटाइवालिन की धान के अभिप्राप्त धान के भ्रूणपोष के चारों ओर की परत से अभिप्राप्त तेल अभिप्रेत है। फेम गामिनी, जिसे धान पेषण की प्रक्रिया के दौरान हटा दिया जाता है और जो साधारणतया धान चोकर के रूप में माना जाता है।

परिष्कृत धान चोकर तेल क्षार से निष्प्रभावित, विरंजन मृदा या सक्रियित कार्बन या दोनों के साथ विरंजित तथा वाष्प के साथ निर्गन्धीकृत विलायक निष्कर्षित तेल से अभिप्राप्त किया जाएगा। विकल्पतः निर अम्लीकरण विरंजन और निर्गन्धीकरण भौतिक साधनों से किया जा सकेगा।

तेल साफ होगा और दुर्गन्ध, अपमिश्रणों, तलछटों, निलम्बित और अन्य विजातीय पदार्थों पृथककृत जल और मिलाए गए रंजक तथा सुरुचि कारक पदार्थों से मुक्त होगा। तेल की शुद्धता का निर्णय निस्पंदित नमूने को 24 घंटे के लिए 35° सेंटीग्रेड पर रखने के पश्चात् आविलता की अनुपस्थिति द्वारा किया जाएगा। धान चोकर तेल का विक्रय केवल परिष्करण के पश्चात् मानव उपभोग के लिए किया जाएगा। यह निम्नलिखित मानकों के अनुसार होगा, अर्थात्:-

(1) आर्द्रता और अविलेय अपद्रव्यों का भार में प्रतिशत-0.1 अनधिक

(2) 40° सेंटीग्रेड पर अपवर्तनांक- 1,4600 से 1.1700 तक

या

40° सेंटीग्रेड पर ब्यूटिरो- रिफ्रेक्टोमीटर पठन-51.0 से 66.4 तक

(3) साबुनीकरण मान- 180 से 195

(4) आयोडीन मान (विज पद्धति) —90 से 105 तक

(5) मुक्त वसा अम्ल (ओलीक अम्ल के रूप में) का भार में प्रतिशत- 0.25 से अनधिक

या

अम्ल मान-0.5 से अनधिक

(6) असाबुनीकरणीय पदार्थ का भार में प्रतिशत-3.5 से अनधिक

(7) प्रज्वलन ताप (पेन्स्की मार्टेन क्लोज्ड पद्धति)-250° सेंटीग्रेड से अन्यून"

टिप्पण : मद क 17 के अधीन विहित खाद्य तेल, एरंड- तेल से मुक्त होंगे।

(ई) मद क 19 में:-

(क) "हाइड्रोजनीकरण द्वारा निर्मित किया जाएगा" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-
"परिष्कृत मैला बीज वसा, यदि प्रयुक्त की जाए तो, कुल तेल-मिश्रण के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

(ख) खण्ड (vii) में, "1.25" अंकों के स्थान पर, "2.0" अंक रखे जाएंगे।

(उ) मद क 19.01 के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) इसमें पायसीकारक के रूप में मिलाए गए मोनोग्लिसेराइड और डाइग्लिसेराइड हो सकेंगे।"

[सं० पी० 15014/13/80 पी०एच० (एफ एण्ड एन) पी एफ ए]

आर० के० निगम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 1982

G.S.R. 245(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), with the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 142, dated the 30th January, 1981 published in the Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (i) dated the 7th February, 1981 (at pages 273 to 275) inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby the expiry of ninety days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public.

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 7th February, 1981 and whereas the objections and suggestions received from the public on the draft rules have been considered by the Central Government.;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act; the Central Government after consultation with Central Committee for Food Standards hereby makes the following rules, further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (iii Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in Appendix 'B' : -

A. in item A. 12

(a) after clause 3, the following shall be inserted, namely :

"4—Melting point of extracted fat—31°C to 37°C (Capillary Slip method).

5—Unsaponifiable matter of extracted fat.	Not more than 1.5 per cent by weight.
6—Free fatty acids (as oleic acid) of extracted fat.	Not more than 0.25 per cent by weight.
OR	
Acid value	Not more than 0.5";

(b) for the figure and words "2 red units", the figures and words "2.5 red units" shall be substituted;

B. in item A. 17.09

(a) for the words "SAFFLOWER OIL", the words SAFFLOWER SEED OIL" shall be substituted.

(b) in clause (c), for figures '146', the figures '148' shall be substituted;

C. after item A. 17.22, the following shall be added, namely :

"A. 17.23—Rice Bran Oil means the oil obtained from the layer around the endosperm of rice obtained from paddy of Oryza Sativa Linn. Fam Gramineae, which is removed during the process of rice milling and is generally known as rice bran.

Refiened Rice Bran Oil shall be obtained from solvent extracted oil, neutralised with alkali, bleached with bleaching earth or activated carbon or both and deodorised with steam. Alternatively deacidification, bleaching and deodorisation may be done by physical means.

The oil shall be clear and free from rancidity, adulterants, sediments, suspended and other foreign matters, separated water and added colouring and flavouring substances. The clarity of the oil shall be judged by the absence of turbidity after keeping the filtered sample at 35° C for 24 hrs. Rice Bran oil shall be sold for human consumption only after refining. It shall conform to the following standards, namely :

(i) Moisture and insoluble impurities.	Not more than 0.1 per cent by weight.
(ii) Refractive index at 40°C	1.4600 to 1,4700
OR	
Butyro-refractometer reading at 40°C.	51.0 to 66.4
(iii) Saponification value	180 to 195
(iv) Iodine value (Wijs' method)	90 to 105
(v) Free Fatty Acids (as oleicacid) per cent by weight.	Not more than 0.25
OR	
Acid value	Not more than 0.5
(vi) Unsaponifiable matter, per cent by weight.	Not more than 3.5
(vii) Flash point (Pansky Marten closed method).	Not less than 250°C

Note :—The edible oils prescribed under item A.17 shall be free from Castor oil.

D. in item A. 19

(a) after the words, "allowed by the Government for the purpose", the following words shall be added, namely:— "Refined sal seed fat, if used, shall not be more than 10 percent of the total oil mix.";

(b) in clause (vii), for the figures "1.25", the figures "2.0" shall be substituted;

E. in item A. 19.01, after clause (b) the following clause shall be added, namely :—

"(c) it may contain added mono-glycerides and diglycerides as emulsifying agents."

[No. P—15014/13/80-PH (F&N) PFA]

R. K. SINGHAL, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982